भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4067

दिनांक 30.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन

4067 श्री नीरज शेखरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ₹1.51 लाख करोड़ की राशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक देश में कितने परिवारों को नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

चल रहे कार्यों को पूरा करने और सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसमें जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवर्धित परिव्यय और पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है। मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् 1.51 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है।
